

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक-02.03.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी।

-01 वाञ्छित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 02.03.2017 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0स0-193/17,धारा-363/366 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट के वाञ्छित अभियुक्त-छोटू पुत्र लल्लू फकीर निवासी मु0 तकिया थाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-05ली0 कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 02.03.2017 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा अभियुक्त-रफीक पुत्र समसुद्दीन निवासी हैदरिया थाना मौदहा को एक जरीकेन मे 05ली शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-194/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

- शान्तिभंग की आशंका मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार-

-थाना ललपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे अभियुक्त-चेतन पुत्र भवानीदीन निवासी टेढा थाना सुमेरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना मझगवां पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे अभियुक्त-1.सुखलाल पुत्र कमला अहिरवार 2.अमरजू पुत्र दलपत अहिरवार निवासीगण नौरंगा 3.करनसिंह पुत्र भवानीदीन पाल निवासी कोठा थाना मझगवां को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना जरिया पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे अभियुक्त-1.बलवीर पुत्र गयाप्रसाद निवासी उमरिया 2.पुटिया पुत्र मुल्ला निवासी छिबौली थाना जरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना राठ पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे अभियुक्त-छत्रपाल पुत्र सम्भू निवासी धमना थाना राठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना मौदहा पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे अभियुक्त-1.अयूब पुत्र सफीक निवासी उपरौस 2.किशनलाल पुत्र आनन्दी गुप्ता 3.करीम पुत्र मदारी निवासीगण नायकपुरवा थाना मौदहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 02.03.2017 जनपद हमीरपुर

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान में 23वाहनो से 5,100रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया, व 01 वाहन का चालान।